MASHI RIVER BASIN JAL SANSAD

MASHI RIVER BASIN WATER PARLIAMENT

DRAFT CONSTITUTION

Supported by
India Water Partnership & Global Water Partnership

CENTRE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT STUDIES
B-92, NITYANAND NAGAR, GANDHIPATH
QUEEN'S ROAD, JAIPUR 302 021
January 2017

मासी नदी घाटी संसद

सेंटर फॉर इन्वायरमेंट डवलपमेंट स्टडी –जयपुर

भूमिका

भारत में नदी को देवी और मॉ के रूप में देखा जाता हैं । हमारे धार्मिक ग्रंन्थ ''वेद –पुराणों '' में नदियों की महिमा का उल्लेख है । भारतीय सामाजिक सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे ही विकसीत हुई, जिसका एक लम्बा इतिहास है । भारतीय समाज ने अपने लिए ऐसी जीवनषैली और परम्पराऐं बनाई हैं, जिन्हें युगों से आज भी अपने व्यवहारिक जीवन में जीता आ रहा है। नदी की माटी को माथे लगा कर धन्य होता है तो नदी जल में स्नान कर पवित्रता का अहसास करता है । यह सब भारतीय समाज की जीवनषैली में समाहित है ।

दरस परस मज्जन अरू पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ।।

नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा बिमल मति ।।

वेद–पुराण कहते हैं कि नदी दर्षन, स्पर्ष, स्नान और जलपान पापों को हरता है ।

हमारे देष में नदियां ''तीर्थ'' हैं और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्व नदियों के किनारों पर ही होते आ रहे हैं। जिससे विष्व जगत भी आष्चर्यचकित रहता है । आज भी समृद्ध भारतीय सभ्यताओं का इतिहास नदियों के आंचल में बसा है और नदियां हमें अपनी समृद्धि के दर्षन कराती आ रहीं है।

आज भारतीय समाज का दर्षन नदियों के प्रति उदासीन दिखाई देता हैं । जो समाज नदियों के प्रति देवी और मॉ के रूप में धार्मिक व दार्षनिक भाव रखता था, अब उसकी जगह स्वार्थी जीवनषैली बनती जा रही है । के विकास के नाम पर दोहन –षोपण हो रहा है । गंगा जैसी नदी आज अपनी पवित्रता और अस्तित्व के लिए भारतीय समाज पर निर्भर हो गई है ।

हमारे देष में नदी संरक्षण की मुहिम बीसवीं सदी के आखरी दषकों में षुरू हुई जिसमें सरकारी स्तर पर गंगा की सफाई अभियान को लेकर तत्कालीन सरकारों ने अपनी मंषा जाहिर की और उसके लिए एक बड़ी राषि अपने वित्तीय बजट में रखी और कुछ काम भी षुरू हुए । देष में नदी संरक्षण के काम कम है लेकिन नदी दोहन तेजी से विभिन्न रूपों में हो रहा है । ऐसा लग रहा है कि देषवासियों का आर्थिक विकास अब नदियों पर ही निर्भर होता जा रहा है ।

नदियों पर बड़े–बड़े बॉध बनाकर प्राकृतिक बहाव रोका जा रहा है, खनन से नदी की सतह को नप्ट किया जा रहा है बिजली–पानी का व्यापार सब नदियों पर निर्भर है । षहरों की गन्दगी की सफाई करते –करते नदियां अपना मूल स्वरूप खो चुकी है। जिन नदियों का हमारे जीवन में धार्मिक आस्था व आजीविका का महत्व था, अब वे षहरों के मैला ठोने की साधन बन गयी हैं । नदियों के प्रति बढ़ती समाज की उदासीनता से विभिन्न प्रकार की समस्याऐं बढ़ रही है। बीसवीं सदी के अन्तिम दषक में नदियों पर देष में विकास के चलते दबाव बड़ा है ।

ईक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ से एक ओर देष की छोटी –बड़ी नदियों का तेजी से दोहन षुरू हुआ है तो दूसरी ओर अपनी नदी को बचाने के लिए नदी क्षेत्र के समाज ने अपने सामूहिक प्रयासों से नदी संरक्षण के कार्य आरम्भ किए है।

। जिससे नदी क्षेत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव देखाई दे रहे है । जन समुदाय की भागेदारी से किये जा रहे जल–जंगल और जमीन संरक्षण के प्रयास सराहनीय है ।

1 राजस्थान में पानी की समस्याः

राजस्थान की सरकार द्वारा 2013 में कराये गये भू–जल स्तर के सर्वे के अनुसार 243 ब्लॉक में से..... ब्लॉक सुरक्षित हैं जबकि ..... ब्लॉक अत्यधिक दोहित हैं तथा ..... ब्लॉक की स्थिति गम्भीर बनी हुई है । 25 ब्लॉक सुरक्षित की श्रेणी में आते हैं ।

राज्य में 14 नदी घाटी क्षेत्र है, उनमें से केवल चम्बल नदी घाटी में पानी की पूर्ण आपूर्ती है । अन्य नदी घटियों में पानी की कमी है । राज्य 50 प्रतिषत सतही जल बाहर के प्रदेषों से आता है । राजस्थान में पानी का उपयोग इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले वर्षों में पीने के पानी का भारी संकट आ सकता है ।

राजस्थान में बढ़ती जल की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार 'राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम,2012' को संषोधित करके '' राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 लेकर आ रही है ।

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक 2015 का प्रारूप

नयी नीति का उद्देष्य :

राजस्थान जल की कमी वाला राज्य है और इसके पास देष के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिषत, मानव जनसंख्या का 5.5 प्रतिषत और पषुधन का 18.5 प्रतिषत होते हुए भी देष में उपलब्ध कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिषत है और राज्य में 243 भूजल खण्ड़ों में से केवल 25 भूजल खण्ड ही सुरक्षित है । वर्तमान में परिदृष्य में, भू–जल, सतही जल के प्रबंध और पोपणीय आधार पर नदी बेसिनों और उप बेसिनों के विकास के लिए एक ''एकीकृत जल संसाधन प्रबंध ''आई.डब्ल्यू.आर.एम.'' की अवधारणा को अंगीकृत किया जाना अनिवार्य हो गया है ।

राज्य स्तरीय जल संसाधन विकास योजनाएं बनाने के लिए बेसिनों, उप–बेसिनों, एक्वीफरों और लघु वाटरषैडों के अन्तर्गत आने वाले समस्त वाटरषैडों सिचाई और पेयजल की परियोजनाओं की योजना के लिए एक आधार के रूप में एक बड़े और व्यापक दृप्टिकोण की आवष्यकता है। अभाव ग्रस्त बेसिनों की आवष्यकता को, आधिक्य से अभावग्रस्त बेसिनों तक नदियों को परस्पर जोड़े जाने सहित, अन्तर बेसिन जल अन्तरण द्वारा पूरा किया जा सकता है ।

जल क्षेत्र में सभी मुद्दों से प्रभावी ढ़ग से निपटने के क्रम में राज्य सरकार ने राज्य जल नीति जारी की है । इस नीति में की घोपणाओं में से एक घोपणा नदियों को परस्पर जोड़ना और अन्तर–बेसिन जल स्थान्तरण करना है । ऐसा करने से आधिक्य वाले बेसिन से अभावग्रस्त बेसिन में जल अतंरित किया जा सकता है और आवष्यकता पूरी की जा सकती है । उपरोक्त उद्देष्यों को कियान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य जल संसाधन सलाहकार परिपद और राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

विधेयक –2015

बेसिनों उप–बेसिनों एक्वीफरों और वाटरषैडों के अन्तर्गत आने वाले समस्त वाटरषैडों, सिचाई और पेयजल परियोजनाओं की योजना द्वारा पोपणीय आधार पर नदी बेसिनों और उप–बेसिनों के प्रबन्धन और विकास के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन के सिद्धांत के अनुरूप नदियों को, उनके आधिक्य से अभावग्रस्त बेसिनों और उप–बेसिनों से जोड़ने, अन्तःबेसिन जल अन्तरण को सम्मिलित करते हुए भूगर्भ और सतही जल के अधिकतम और पर्याप्त उपयोग को सुनिष्चित करने, राज्य स्तरीय जल संसाधन योजनाओं को विकसित करने के लिए राज्य जल संसाधन सलाकार परिपद् तथा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए और राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, 2012 को संसोधित करने के लिए विधेयक लाया गया ।

राज्य की नई जलनीति के हित तहत भविप्य में राज्य के जल संसाधनों का प्रबन्धन इस विधेयक के परिपेक्ष में किया जायेगा विधेयक तो आ गया परन्तु इस विधेयक के कार्यवरण के लिए सरकार के नुमायन्दों, समाज व स्वयं सेवी संस्थानों की इसके बारे में जानकारी व समझ बनानी है ।

इस विधेयक को समझने व समझाने का एक छोटा प्रयास पर्यावरण एवं विकास अध्ययन संस्थान ने मासी नदी बेसिन में समाज द्वारा पानी के प्रबन्धन का प्रयास किया है । इस प्रयास में समाज का नदी बेसिन प्रबन्धन के लिए नदी बेसिन संसद बनाने का फैसला किया व संसद का प्ररूप बनाया ।

मासी नदी बेसिन जल संसद – प्रारूप

मासी बेसिनः

मासी नदी बेसिन में दो नदियां बहती हैं, मासी व बाण्डी । मासी नदी बेसिन का क्षेत्रफल .6476 वर्गकिमी. है । इस नदी का उदगम राज्स्थान के अजमेर जिले की किसनगढ़ तहसील का पठार क्षेत्र है । जयपुर के पष्चिम में दूदू, बगरू और फागी तहसीलों से गुजरती हुई फागी तहसील में बनास नदी में मिल जाती है । इस क्षेत्र में मैदानी खेती की जमीन है । भूजल की गुणव्त्ता अच्छी नहीं होने के कारण अधिकांष क्षेत्र में बरसाती फसलें उगाई जाती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े–बड़े तालाब है, तालाबा के किनारे कुएं बने हुए हैं जिनसे पीने को पानी आपूर्ति होती है । मासी की सहायक नदी बाण्डी है । जो जयपुर के उत्तर से दक्षिण की और बहती है । इसका उद्गम स्थान जयपुर के उत्तर में सामोद की पहाड़ियों हैं ।

सामोद से निकलकर जोबनेर, बगरू होते हुए मासी बांध से पहले मासी नदी में मिल जाती है । बाण्डी नदी जलग्रहण क्षेत्र, बालू मिट्टी के वाली जमीन है ।

बाण्डी नदी क्षेत्र में खेती भू–जल पर आधारित है ।जिसके फलस्वरूप भूजल की स्थिति अतिदोहन तक पहुंच गई है । कहीं–कहीं पर तो भूजल अपने अन्तिम छोर पर पहुंच गया है । इस नदी में जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूपित पानी छोड़ जाता है । जिसके कारण नदी प्रदूपित हो गई है, साथ ही भूजल भी प्रदूपिसत हो गया है । मासी नदी बेसिन में 6 छोटे जल ग्रहण क्षेत्र है, प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र में अलग–अलग प्रदूपण की समस्याऐं हैं ।

2. मासी नदी क्षेत्र में भू–जल एवं सतही जल सम्बन्धी समस्याऐं

2.1 मासी नदी क्षेत्र में कब्जा :– मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र में ग्राम वासियों ने धीरे–धीरे अपनी कास्त की जमीन को बढ़ाया । भू–माफिया ने भी बड़े–बड़े फॉर्म हाउस बनाकर नदी जल ग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण किया है । इतना ही नहीं षहरी विकास की हवा ने नदी के बहाव क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा । अब नदियों के किनारों पर बड़ी– बड़ी बस्तियां बनाई जा रही हैं । जिससे नदी के बहाव क्षेत्र में कब्जे बढ़े हैं और नदियों अस्तित्व खतरे में हैं ।

2.2 नदी प्रदूपण :– विकासषील युग में हर नदी प्रदूपित हो रही है । नदी जलग्रहण क्षेत्र की खेती में जहरीली दवाओं का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है जिससे खेतों से आने वाला वर्पा जल से नदी प्रदूपित हो रही है । दूसरी ओर जयपुर षहर व छोटे कस्बों से आने वाला गन्दा पानी नदी को दूपित कर रहा है जिससे नदी के साथ भू–जल भी प्रदूपित हो रहा है । इस नदी बेसिन में औद्योगिक क्षेत्रों के कारण भू एवं सतही जल प्रदूपित हो रहा है जिससे बेसिन के प्र्यावरण एवं लोगों के आजिविका पर विपरित असर पड़ रहा है ।

2.3 नदी जल धाराओं का बन्द होना :– नदी जलग्रहण क्षेत्र में छोटी–छोटी जल धाराऐं होती है जिनके द्वारा मुख्य नदी तक बरसाती जल पहुंचता है । राज्य की नितियों में भू उपयोग में परिवर्तन के कारण छोटी–छोटी जल धाराऐं लुप्त हो रही है । गांवों में बढ़ते अतिक्रमण, षहरी विकास योजनाऐं भी इसके लिए जिम्मदार है ।

2.4 खनन :– नदी जलग्रहण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खनन हो रहा हैं जिसके कारण जल बहाव अवरूद्ध होता है, इतना ही नहीं नदी के मुख्य बहाव क्षेत्र ''धारा'' में बजरी खनन के कारण जल बहाव रूका है एवं भूजल पुर्नभरण कम हुआ है। खनन के कारण नदी में बड़े–बड़े गढ्ढे बन गये हैं । जिसके कारण नदी बहाव

अवरूद्ध होने के कारण पानी अन्तिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है, फलस्वरूप पानी के बिना नदी का रूप–स्वरूप ही बदलता दिखाई दे रहा है ।

2.5 भू–जल स्तर में गिरावट :– मासी नदी जल ग्रहण क्षेत्र में सामान्यतः कम वर्षा होती है । इस की गुणवत्ता बेसिन में भूजल की उपलब्धता मासी व बाण्डी नदियों में भिन्न–भिन्न है। मासी नदी क्षेत्र में भूजल ठीक नहीं होने के कारण भूजल दोहन कम होता है । इसलिए मासी नदी क्षेत्र में भूजल अभी भी सुरक्षित है । लेकिन बाण्ड 237 पतिषत पहुंच गया है । नदी क्षेत्र में जल दोहन ना के बराबर है, इसके ठीक विपरीत बाण्डी नदी क्षेत्र में भूजल ज्यादा मात्रा में है किन्तु अति दोहन के कारण भूजल स्तर गिरता जा रहा है ।

2.6 सतही जल प्रबन्धन :– नदी के अधिकांष ग्रामीण क्षेत्रों में भू–जल की गुणवत्ता खराब है पूरे मासी नदी क्षेत्र में भूजल में फलोराईड की मात्रा अधिक है । नदी जलग्रहण क्षेत्र में सतही जल का प्रबन्धन योजना बद्ध तरीके से न होने के कारण पीने के पानी की बड़ी समस्या है । मासी बेसिन में लगभग 378 छोटे–बड़े तालाब व नाड़िया हैं । कुछ बड़े तालाबों के पानी से खेती भी करने की व्यवस्था रही है । लेकिन ज्यादातर सतही जल क्षेत्रों का पीने के पानी में उपयोग होता है ।

2.7 भूजल दोहन : – आज की विकास की अवधारणा जल पर निर्भर दिखाई दे रही है । कृपि विकास, षहरी विकास और उद्योगों में पानी का बेतहासा उपयोग हो रहा है । समाज की बदलती जीवनषैली के कारण ग्रामीण और षहरी क्षेत्रों में घरेलू जल का उपभोग बढ़ रहा है, जिससे पानी की उपलब्धता की समस्या बढ़ती जा रही है । कृपि में ज्यादा पानी वाली फसलों के लिए अतिदोहन कर पानी का अधिक उपयोग किया जा रहा है ।

2.8 जलग्रहण क्षेत्र में नालों व नदी के पाट में अतिक्रमण व रूकावट :– नदी जलग्रहण क्षेत्र में अधिकांषत वन एवं पर्यावरण विभाग, खनन विभाग, सिचाई विभाग, कृपि विभाग, पषुपालन विभाग, षहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, सड़क निर्माण विभाग आदि के द्वारा विकास के कार्य किए जाते हैं, जिससे जलग्रहण क्षेत्र से बह कर आने वाले पानी में रूकावट हो रही है । नदी के पाट के अतिक्रमण के कारण नदी बहाव क्षेत्र सुकड़ रहे हैं ।

3.0 मासी नदी संरक्षण मासी नदी संरक्षण का कार्य एक व्यक्ति या एक वर्ग के लोगों का काम नहीं है । इसके लिए मासी बेसिन की प्रत्येक ग्राम सभा को एक इकाई मानकर योजनाबद्ध तरीके से नदी जलग्रहण क्षेत्र में कार्य करने होंगे ।

जलग्रहण क्षेत्र में जन समुदाय की भागेदारी से जल–जंगल और जमीन संरक्षण कार्य किये जाने चाहिए।

आज मासी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण, उद्योग, एवं खनन, और षहर व सड़कें बढ़ रहे हैं । पानी आवक के रास्ते अवरूद्ध एवं मिट रहे है । आधारभूत विकास की चकाचौंध में मासी नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है । नदी के अस्तित्व की रक्षा के लिए समाज को आगे आना ही होगा । नदी संरक्षण के लिए अंग्रेजी हकूमत में भी कानून बने और आजादी के बाद भी लेकिन समाज में नदियों के प्रति बढ़ती उदासीनता नदी संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा है । इसके लिए समाज और सरकार के बीच सतत् संवाद की जरूरत है । राजस्थान में नदी संरक्षण के लिए नदी नीति बनवाने के लिए पैरवी के प्रयास जारी है । जिससे मासी जैसी सैंकड़ों नदियों का संरक्षण हो सके व वह अपनी क्षमता अनुसार जन व धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहे ।

3.1 नदी संरक्षण में समाज की भूमिका :– अब तक के देष भर में सजल संसाधन के अनुभव इस बात को इंगित करते हैं कि समाज की सक्रिय भागेदारी व सहयोग के बिना जल संसाधनों का सदुपयोग व संरक्षण अधूरा है । समाज की भूकिा जल के प्रबन्धन , संरक्षण व जल सम्बन्धी विवादों का निपटाने में अहम है । नदी जल संरक्षण में किसान एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है । अतः कृपि में जल की किफायती उपयोग व संरक्षण, नर्द तकनीकी के प्रचलन से किया जा सकता है । समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि जो कार्य हो रहा है वह मेरा कार्य है । जन समुदाय की भागेदारी से किये गए कार्य जीवन की मूलभूत आवष्यकता को पूरा करने में साहयक होते हैं

3.2 स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग :– मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र में 8–10 मुख्य स्वयं सेवी संस्थाऐं कार्यरत हैं । जिन्होंने अपने–अपने कार्य क्षेत्र में जल संऱक्षण के अच्छे कार्य किये हैं, जिनका लाभ मासी नदी वासियों को सीधा मिला है । स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य जन भागेदारी पर ही आधारित रहे हैं । स्वयं सेवी संस्थाऐं और ग्रामवासी जल संरक्षण एवं प्रबन्धन मिलकर करते हैं । स्वयं सेवी संस्थाऐं जल से सम्बन्धी ज्ञान–विज्ञान, अन्य प्रान्तों व देषों में सफल प्रयोगों को समाज तक पहुंचाते हैं । समाज को सफल व सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

3.3 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का सहयोग :– राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ समय–समय पर जन संवाद, मीटिंग, सेमीनार आदि मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र को लेकर हुई है । नदी जलग्रहण क्षेत्र में

सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाओं द्वारा नदी क्षेत्र में विकास के अनेकों कार्य किये जाते रहे हैं, नदी घाठी प्रबन्धन में सरकार की भूमिका हमेषा अहम रहेगी । भूमिका और कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के संबन्ध में अनेकों सुझाव दिये गये। जिससे मासी नदी के संरक्षण में सरकारी स्तर पर विभागीय सहयोग बढ़ा है । किन्तु एकीकृत सोच न होने के कारण किये गये कार्यों के परिणाम आपेक्षित नहीं रहे ।

3.4 उद्योगपतियों की सहभागिता :– मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र में उद्गम से लेकर अन्तिम छोर तक विभिन्न प्रकार के उद्योग व औद्यागिक क्षेत्र विकसीत हुए हैं । क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य उद्योगिक क्षेत्र हैं, विष्वकर्मा इण्डस्ट्री एरिया, जयपुर, इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, महेन्द्रा सेज, बगरू इण्डस्ट्रीयल, दूदू इण्डस्ट्री एरिया आदि । इनमें से तीन उद्योगिक क्षेत्र तो नदी के पाट में ही हैं, कालाडेरा, महेन्द्रा सेज, एवं बगरू इण्डस्ट्री एरिया जोकि सरकार के नियम एवं कानूनों के खिलाफ हैं । इन उद्योगों द्वारा प्रदूपित जल व मल बिना ट्रीटमेंट के नदी में ही छोड़ा जाता है । इसलिए नदी संरक्षण के लिए उद्योगपतियों के साथ संवाद व सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है । उद्योगपतियों को जल संरक्षएा में अपनी अहम भूमिका तय करनी होगी ।

3.5 राजनेतिज्ञों से संवादः– मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के वार्ड मेम्बर, सरपंच, प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री आदि के साथ नदी संरक्षण के लिए समय–समय पर संवाद होना चाहिए । जिससे मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र का समग्र विकास को लेकर दूरगामी विकास की योजना बन सके । नदी संरक्षण कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण और भूमिका राजनेतिज्ञों की होती हैं । अतः पंचायती राज के नुमाईन्दों व राजनैतिक प्रतिनिधियों में विकास के प्रति तालमेल होना बहुत जरूरी है । वह संवाद द्वावा ही स्थापित हो सकता है ।

3.6 नीतिगत पैरवी :– *जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए तीन दषकों का एक लम्बा समय हो गया । इन बीते दषकों में देष और राज्यों के जल संरक्षण के कार्यों को लेकर विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए । सामान्यतः समाज में जल संरक्षण की बात करना बहुत सहज और जन उपयोगी लगता है । लेकिन गांव से लेकर जिला, राज्य देष और अन्तरार्प्टीय स्तर पर जल संरक्षण और जल उपयोग करने में कितनी बन्दिषें हैं, इसका अनुभव देष के विभिन्न भागों में तीन दषकों से जल संरक्षण क्षेत्र में अध्ययन के कार्य करते हुए ।*

अध्ययनों दौरान जल से संबधित हमारी नीतियां बड़ी बाधा के रूप में रही हैं, क्योंकि हमारे देष में जल संरक्षण के लिए अग्रेजों की बनाई दो सदी पुरानी जल

सम्बन्धी नीतियों से ही अभी तक सरकार देष में जल संसाधन विकास के कार्य करती रही है । जिसमें समाज द्वारा जल संरक्षण के कार्यों के लिए कोई जगह नही है । जल एक प्रकृतिक संसाधन है और उस पर सरकार का हक है । एक प्रकास से सरकार की सम्पति है । समाज द्वारा किये जाने वाले जल संरक्षण के कार्यों में सबसे बड़ी बाधा 1854 में बने कानून हैं जिससे समाज के सहभागिता के कार्यों को पाबन्द किया गया है ।

ग्राम समाज से लेकर राज्य और देष की परिस्थिति में हमारी कोई अपनी जल नीति नहीं थी । समाज के द्वारा देष और राजजल संरक्षण के कार्यों का

अध्ययनों के दौरान जल संरक्षण के कार्यों में व्यक्ति, समाज और षासन–प्रषासन की कार्यषैली, योजना, विभिन्न रूपों में अलग अलग भूमिका सामने आई । अघ्ययन करते हुए अकरने की बात जल संरक्षण के लिए नीतिगत प्रयास पद दषक से जारी हैं । जल संरक्षण और नदी संरक्षण के लिए तत्कालीन केन्द्र सरकार ने वर्प 2002 में देष की जल नीति का प्ररूप तैयार किया था । जिसमें नदी जल नीति भी समाहित थी ।

विकास की दौड़ में राज्य की नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है । नदियों का जलग्रहण क्षेत्र प्रभावित ही नही होता बल्कि नदी बहाव की धाराऐं मुख्य रूप से प्रभावित होती है । नदियों में बढ़ते खनन से नदी मृत प्राय हो जाती है, नदी अपने जलग्रहण क्षेत्र की जीवनदायनी होती है । जब नदी सूखती है या मरती है तो वहां का जन जीवन भी बे पानी हो जाता है । नदी का सूखना लोगों व पषुओं के पलायन का कारण बनता है ।

नदियों को बचाने के लिए न्यायालय के आदेष की अनुपालना के लिए प्रयास करना – राज्य की नदियों के संरक्षण के लिए न्यायालय ने सन्.....में आदेष दिये थे कि सन् 1947 से पहले राज्य की नदियों का बहाव क्षेत्र जिस स्थिति में था वही किया जाए । अगर न्यायालय के आदेष की पालना राज्य सरकार करे तो नदी संरक्षण का आधा कार्य हो जायेगा । लेकिन नदी संरक्षण के लिए सरकार में इच्छाषक्ति की कमी है, क्योंकि नदियों के बहाव क्षेत्र से लेकर जलग्रहण क्षेत्र तक भू–माफिया का कब्जा है । नदियों को भू–माफिया से मुक्त कराने के लिए सरकार और समाज में न्यायालय के आदेष को जन संवादों से जन जागरूकता के अभियान चलाए जाने चाहिए ।

राजस्थान पत्रिका 14.01.2017 से साभार

राजसथान हाई कोर्ट का आदेष– 13.01. 2017

नदी नाले और बांधों का लौटे वैभव....

हाईकोर्ट के फैसले पर अमल होने से लौटेगा पुराना स्वरूप

नदी–नाले, झील –बांध और चरागाह भूमि पर जमे भू–माफिया पर नकेल की जरूरत

षहरों के सुनियोजित विकास और नदी, नाले, झील व बांधों का वैभव पुनः लौटाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय की और से दिए फैसले पर सरकार ने जल्द कार्यवाही षुरू की तो षहरों का स्वरूप निखरने के साथ ही पेयजल किल्लत से जूझती जनता को राहत मिल सकती है । हर ओर अव्यवस्थित विकास कार्य और चरागाह भूमि पर हरियाली की जगह खड़े हो रहे कंक्रीट के जंगल पर भी अंकुष लगेगा ।

कोर्ट ने कहा–राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधन पहाड़ी, नदी, वन एवं अन्य जलसंग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए आवष्यक कदम उठाए ।

वर्तमान हालात – 18 वीं सदी में छप्पनिया अकाल की पीड़ा भोगने के बाद जयपुर रियासत ने जलमहल, रामगढ़, कूकस, कानोता, कालख, चोमोरिया, प्रभातपुरी और तालकटोरा जैसे बांधों का निर्माण कराया । लेकिन आजादी के बाद यह प्राचीन जल स्रोत खत्म होने लगे और सरकार चुप बैठी रही ।

चरागाह जमीन गायब हो रही– कोर्ट ने कहा – गोचर भूमि पर कब्जे को हटाने के लिए सरकार आवष्यक कदम उठाए । अदालतों में लंबित प्रकरणों के नितारण के लिए आवष्यक कार्यवाही की जाए ।

वर्तमान हालात –जानकारों को हर गांव और षहर के पास चरागाह भूमि रखी गई थी । लेकिन तेजी से आबादी और सरकारी लापरवाही से चरागाह समाप्त होते जा रहे हैं । राजधानी जयपुर सहित प्रदेष के सभी संभाग, जिला और उपखण्ड मुख्यालयों के आसपास की चरागाह भूमि व निकाय व विकास प्राधिकरण कॉलोनियां काट रहे हैं । जबकि राजस्व विभाग के नियमों की बात की जाए तो जितनी चरागाह भूमि उपयोग में ली जाए उतनी जगह छोड़ने का प्रावधान है । लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा । वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी कब्जे कर प्रकृति के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है ।

4.0 जल प्रबन्धन एवं चुनौतियां

जल के बिना जीवन संभव नहीं है । किसानों के लिए पानी की उपलब्धता और पानी पर स्वामित्व उसकी जीविका का आधार है । राजस्थान के किसानों के विकास में पानी की अहम भूमिका रही है । भू–जल उपयोग ने विगत 20 वर्षों में कृपि उत्पादों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है । किन्तु भू–जल अतिदोहन से जो संकट सामने खड़ा हो गया है, वह प्रदेष के लिए बड़ी चुनौती है ।

सतही जल प्रबन्धन में अनेकों अव्यवाहरिक पहलू आकर जुड़े जैसे कि जल ग्रहण क्षेत्रों में एनीकटों का निर्माण जिनके कारण चुनौतिया और भी गम्भीर हो गई हैं । जल की गुणवत्ता और प्रदूपण ऐसे जाने–माने चुनौतियां है , जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल जाते हैं पर समाधान मुषकिल है ।

आज प्रदेष में 90 प्रतिषत पेयजल व 60 प्रतिषत सिचाई भूजल से होती है , किन्तु इसकी उपलब्धता व गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती हैं भूजल के अति दोहन रोकना सरकार के सामने सब से बड़ी चुनौती है । भूजल कानून के जरिये इसका समाधान खोजने का प्रयास है किन्तु बिना समाज के सहयोग के संभव नहीं दिखता । इसका दूरगामी समाधान तो सतही जल व भूजल के एकीकृत प्रबन्धन जिसमें समाज की सक्रिय भागेदारी होने से ही संभव दिखाई देती है ।

एकीकृत जल प्रबन्धन की अवधारणाओं को अब व्यापक स्तर पर स्वीकृति मिल रही है । किन्तु व्यवाहर में एकीकृत प्रबन्धन कैसे हासिल किया जा सकता है या इसे सामाजिक परिपेक्ष में कैसे प्रचारित किया जाये, के अभी कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहे हैं । इस अवधारणा के व्यवाहरिक पहलूओं के विस्तार से समझना होगा व जन सामान्य के समझने योग्य बनाना होगा । ‘‘रिपोर्ट जी.डवलयू.पी.टी.ए. 2000’’

एकीकृत की आवष्यकता स्पप्ट हो रही है परन्तु कुछ मुख्य चुनौतियां जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं

- एकीकरण किसका व कौन लायेगा ?.
- एकीकरण सरकार के विभिन्न पानी के विभागों का, पानी के विभिन्न उपभोगों का आदि ।
- एकीकरण में सभी उपभोक्ता संगठनों के हित सुनिष्चित समान रूप से कैसे होंगे ?.
- विवादों को सुलझाने का तरीका क्या होगा ?.

- एकीकृत जल प्रबन्धन में विषेप मुद्दे जैसे –प्रदूपण. कब्जा सनसाधनों के उपयोग आदि का फैसला कौन करेगा ?.
- एकीकृत प्रबन्धन में परम्परागत प्रबन्धन एवं आधुनिक प्रबन्धन के बीच में उपजे अविष्वास पूर्ति कैसे होगी ?.

समाज व सरकार की सक्रिय भागेदारी बिना इन सवालों के जबाब नहीं ढूढ़े जा सकते । जल प्रबन्धन एक ऐसा प्रष्न बन गया है जहां सामान्य जनता के समक्ष मुख्य मुद्दे स्पप्ट नहीं होते हैं । फलस्वरूप जनता की भागेदारी नहीं हो पाती है । सामाजिक संघठनों का घ्यान विषिप्ट मुद्दों पर से हट सामान्य मुद्दों पर आकृपित होने लगता है ।

जल प्रबन्धन को सुधारने के प्रयासों के लिए बुनियादी संरचनाओं की रचना करनी होगी और उन्हें बल प्रदान करने के लिए प्रयास करना होगा । जल प्रबन्धन की परम्परागत विचारधाराओं में वर्तमान आवष्यकताओं को समाहित करके एक बुनियादी ढ़ाचा खड़ा करना होगा । अभी तक के प्रयासों में जल या नदी संसद के प्रारूप सामने आये हैं जो काफी हद तक सफल भी रहे हैं ।

5.0 मासी नदी घाटी संसद

नदी घाटी जल प्रबन्धन का आष्य : नदी घाटी जल प्रबन्धन का आष्य उपर्युक्त क्षेत्र में आने वाले सभी छोटे जलग्रहण क्षेत्रों को षामिल करना एवं जल के विभिन्न आयामों को समझना उनका आपस में संबन्ध जानना, और उनके स्थायित्व हेतु संरक्षण करना ही नदी घाटी प्रबन्धन का रूप है।'

नदी घाटी प्रबन्धन में जल, जमीन व जंगल के उन सभी बिन्दुओं को एकीकृत करना एवं लम्बे समय तक आपसी तालमेल एवं समन्वय के साथ वर्तमान एवं भविप्य की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामयिक उपाय ही है । पिछले कई वर्पों से इस दिषा में अनेकों प्रयास हुए हैं, जैसे कि एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन, जल उपभोक्ता संगठन, सहभागिता सिचाई प्रबन्धन, आदि काफी हद् समाज एवं सरकार के आपसी संबंध से प्रबन्ध का नया रास्ता दिखई दिया है । परन्तु सरकार द्वारा नदी बेसिन प्रबन्धन का विधेयक आने के बाद एवं एक तर्क संगत प्रबन्धन का स्वरूप समाने आया है ।

5.1 नदी घाटी जल प्रबन्धन की आवष्यकता :– नदियों के बिगड़ते स्वरूप व उसके प्रभाव की चिन्ता ने नदी जल प्रबन्धन के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है । इस व्यवस्था की आवष्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी, ठोस पहल नहीं हो पा रही थी । छोटे स्तर पर महाराप्ट में पानी पंचायत का उदाहरण हमारे

सामने था । लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेष के लिए बहुत उपयुक्त नही था । इस बीच नयी अवधारणा का उदय हुआ, जिसका नाम एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन है, जिसके माध्यम से पूरे देष में जल संसाधन प्रबन्धन का प्रयास किया जा रहा है । परन्तु इसके स्थानीय स्तर पर सफलता के ज्यादा आसार उभर कर आये । जिसके कारण एक मजबूत एवं मिला जुला जल संसाधन प्रबन्धन की जरूरत महसूस हुई। देष की बारहवीं पंचवर्षीय योजना इस बदलाव का आधार बनी ।

5.2 नदी घाटी जल प्रबन्धन की क्षेत्रिय आवष्यकता :– नदी घाटी जल प्रबन्धन को यदि हम लोग क्षेत्रिय व्यवस्था में रखकर देखें तो जो स्थानीय मुद्दों को सुलझाये बिना प्रबन्धन की बात करना तर्क संगत नहीं होगा । स्थानीय मुद्दों को समझने एवं उनके विभिन्न आयामों को परिभाषित करने के लिए राजस्थान में तरूण भारत संघ द्वारा अरवरी नदी जल संसद एक उदाहरण है । जिस प्रबन्धन में 70 गावों के लोगों द्वारा नदी को सदानीरा बनाने का प्रयास किया गया जो आज भी जारी है । राजस्थान की मूलतः सभी नदियां बरसाती हैं, केवल चम्बल नदी सजल है । ऐसे में इन नदियों का ठीक से प्रबन्धन करना अति आवष्यक है ।

5.3 मासी नदी घाटी प्रबन्धन का विचार :–राजस्थान सरकार द्वारा जो दो विधेयक लाये गये, वह नदी घाटी जल प्रबन्धन में मील के पत्थर हैं । वैसे तो यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर अब भी देरी नहीं है। विधेयक तो लाये गये पर उनके कार्यावरण पर ना तो सरकार में कोई ठोस सोच बनी और ना ही समाज में कोई हलचल या चेतना जगी ।

अतः इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण एवं विकास अध्ययन संस्थान ने प्रयास करने की सोची और उसके तहत एक छोटे नदी बेसिन में प्रयोग कर नदी घाटी जल प्रबंधन का मॉडल बनाने की ढानी । इस कार्य के लिए वैज्ञानीक, तकनीकल विषेपज्ञ, सामाजिक, कानूनी व अन्य पहलुओं पर दो साल तक कार्य कर गहन अध्ययन किया गया । जल उपभोगताओं से चर्चा की गयी । तय किया कि मांसी नदी जल संसद का गठन किया जाय ।

5.4 मांसी नदी संसद का कार्य क्षेत्र : मासी नदी संसद का कार्यक्षेत्र नदी बेसिन के सभी जलग्रहण अजमेर, जयपुर और टौंक जिलों में आने वाला भोगोलिक भू–भाग रहेगा ।

5.5 मांसी नदी संसद के उद्देष्य :

- नदियों को पुर्नजीवित करना ।
- संसद के माध्यम से जल, जंगल, जमीन प्रकृतिक संसाधनों का एकीकृत तरीके से समाज द्वारा टिकाउ प्रबन्धन करना ।

- पानी पर समाज का अधिकार स्थापित करना व सब का समान हक दिलाना ।
- पानी को दुर्लभ संसाधनों के रूप में देखना एवं व्यवहार करना ।
- सतही जल संरक्षण प्रबन्धन को बढ़ावा देना ।
- जल संसाधनों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकना ।
- जल प्रबन्धन में समाज की भागेदारी स्थापित करना ।
- मासी नदी बेसिन में जल जंगल जमीन का एकीकृत जल प्रबन्धन सिद्धान्त प्ररिपेक्ष में समाज की भागेदारी प्रबन्धन संरक्षण एवं विकास करना ।
- सरकार की जल,जंगल जमीन सम्बन्धी नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार के विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन बेसिन के हित सुनिष्चित करना
- मासी नदी बेसिन क्षेत्र में कब्जे , बजरी खनन व अन्य गतिविधियों जो नदी के जल प्रभाव को अवरोध करती हो, प्रदूपित करती हो या किसी रूप में प्रभावित करती हो , उसको रोकना एवं तर्कसंगत समाधान ढूढ़ना । नदी क्षेत्र में रहने बाले सभी समुहों की जल सुरक्षा व जीवन यापन को बहेतर बचाने के लिए प्रयास करना ।

5.6 मासी नदी घाटी का समाज वर्ग समूह :

1. पीने के पानी का समूह – पीने के पानी तो सभी को चाहिए जन समुदाय को पीने के पानी के प्रबन्धन में रूचि रखने वाले लोगों का हर जलग्रहण के समूह जो उस क्षेत्र की समस्या व समाधान पर संसद में पक्ष रख सके ।
2. किसान समूह – खेती करने वाले लोगों का समूह बना कर खेती के लिए जल प्रबन्धन करना । खेती में पानी के उपयोग के नियम बनाना ।
3. पषुपालकों का समूह – जल प्रबन्धन में पषुपालन करने वालों की जरूरत को ध्यान में रखना ।
4. उद्योगिपतियों का समूह – जल प्रबन्धन में उद्योगपतियों के साथ मिलकर जल प्रबन्धन के कार्य करना ।
5. तकनीकी सहायता समूह – संसद को सुचारू रूप से चलाने, नीति –नियम बनाने जलग्रहण क्षेत्र में कार्यों की योजना बनाने में तकनीकी सहायता प्रदान करना, आदि
6. पंचायती राज प्रतिनिधियों व राजनेताओं का समूह – सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में सामंज्स्य स्थापित करते हुए मासी नदी बेसिन जल प्रबन्धन हेतु काम करना ।

5.7 मासी नदी संरक्षण संसद के कार्य :

निम्नलिखित कार्यों को ध्यान में रखते हुए संसद अपने नियम बनायेगी :

1. नदी जलग्रहण क्षेत्र में जल, जंगल व जमीन का एकीकृत तरीके से प्रबन्ध करना ।
2. नदी जल , सतही जल व भूजल का संरक्षण व किफायती तरीके से उपभोग करना ।
3. भू–जल का समुचित उपयोग व अतिदोहन करने पर रोक लगाना ।
4. नदी के पर्यावरणीय बहाव को बनाये रखने के लिए प्रयास करना
5. नदी जलग्रहण क्षेत्र में हर तरह के अतिक्रमण रोकना ।
6. जल संरक्षण के प्रबन्धन में नदी क्षेत्र वासियों की सामूहिक भागेदारी सुनिष्चित करना ।
7. नदी जल को प्रदूपण से बचाना ।

6.0 मासी नदी संरक्षण के लिए कार्यक्रम :

6.1 जल संरक्षण के लिए जन जाग्रति :

1. जन चेतना के लिए – छोटे जलग्रहण स्तर पर चर्चाऐं, विचार–विमर्ष एवं ग्रामीण बैठकें , पदयात्राओं का आयोजन करना ।
2. षिक्षण प्रषिक्षणों का आयोजन – कम पानी की कृपि, पीने के पानी की गुणवत्ता व उपयोग एवं जल, जमीन व जंगल संरक्षण पर प्रषिक्षण ।
3. नदी संरक्षण की योजना बनाना व स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकार एवं उद्योगपतियों के सहयोग से योजनाओं का कार्यावन करना ।
4. ग्राम स्तर पर जल संरक्षण समिति गठन करना , मासी नदी घाटी संसद संघठन बनाना ।
5. नदी संरक्षण के लिए नीतिगत पैरवी करना व जरूरत पड़ने पर न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ना ।
6. नदी जल संसद को सुचारू रूप से चलाना ।
7. नदी घाटी में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाना ।

6.2 मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र में रचनात्मक कार्यक्रम :

1. नदी घाटी में जल, जंगल व जमीन का जन सहयोग से प्रबन्धन करने की योजना बनाना व कार्यावन करना ।

2. नदी जलग्रहण क्षेत्रों का सर्वेक्षण, जल समितिओं से चर्चा, जल संरक्षण के लिए योजना बनाना , बजट और नक्षा तैयार करना , कार्य योजना प्रस्तुत करना ।
3. नदी जलग्रहण क्षेत्र में जल समितियों का गठन करना व उनका प्रषिक्षण करना ।
4. नदी घाटी में सभी जलग्रहण के बीच सामजस्य बनाना व सभी को उनकी मांग अनुसार पानी उपलब्ध करना ।
5. जल से जुड़ी आजिविकाओं का अध्ययन कर पानी बचाने व प्रदूपण कम करने के उपाय करना । सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग करते हुए नदी घाटी का विकास संरक्षण करना
6. ग्राम सभा को जल, जंगल, और जमीन संरक्षण संवर्द्धन की जुम्मेदारी देना ।

7.0 मासी नदी जल संसद का ढांचा :

मासी नदी जल संसद की संघठन संरचना मासी नदी घाटी संसद के तीन मुख्यतः स्तर होंगे

1. ग्राम पंचायत स्तर : ग्राम पंचायत जल एवं प्राकृतिक संसाधन विकास समिति ।
2. जलग्रहण क्षेत्र : जलगहण जल एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण समिति।
3. नदी बेसिन : मासी नदी जल संसद ।

नदी घाटी जल संसद की रचना में सभी घटको की भागीदारी रहेगी । यह जानते हुए कि प्रत्येक घटक अपने ही बारे में सोचेगा व उनकी क्षमता में कमी भी हो सकती है, अतः एक तकनीकी समिति का गठन कर सभी घटकों को तकनीकी राय देने की जिम्मेदारी दी गयी । पानी का राजनीति से भी गहरा संबन्ध है, अतः सामाजिक समूहों के साथ –साथ राजनैतिक भागेदारी भी जरूरी है । इस तथ्य को ध्यान में रख पंचायती राज व विधायकों की भागेदारी भी सुनिष्चित की गई है ।

7.1.1 ग्राम पंचायत स्तर : ग्राम पंचायत जल एवं प्राकृतिक संसाधन विकास समिति

मासी नदी बेसिन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ''ग्राम पंचायत जल एवं प्राकृतिक संसाधन विकास समिति'' होगी इसका कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत का भौगोलिक सीमांकन क्षेत्र होगा । ग्राम पंचायत जल एवं प्राकृतिक संसाधन विकास समिति का अभिप्राय गांव के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण–संर्वद्धन करना रहेगा । सभी ग्रामवासी इसके लाभार्थी होंगे । पंचायत स्तर पर वाटर बजटिगं कर पानी

प्रबन्धन की योजना बनाना व लागू करना । जल संसद में भागीदारी व उसके द्वारा बनाये नियमों की पालना करना व करवाना ।

7.1.2 समिति गठन : – ग्रामीणजन ग्रामसभा की बैठक में सर्वसम्मति से 7 या 9 सदस्यों के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और ग्रामसभा के द्वारा अनुमोदन किया जायेगा । चुने हुए समिति सदस्यों में से अध्यक्ष–सचिव–कोपाध्यक्ष और सदस्य होंगे । जिनके नाम भी ग्रामसभा तय करेगी । ग्रामसभा, समिति के सदस्यों की संख्या को सुविधानुसार घटा–बढ़ा सकती है । और किसी सदस्य के निष्क्रय रहने पर हटा सकती है । समिति सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया ग्रामसभा की छमाई या वार्षिक बैठकों में किया जायेगा । सदस्यों की सदस्यता की समयावधि दो वर्ष रहेगी तथा सदस्यों के व्यवहार, कार्य प्रणाली व सक्रियता पर भी निर्भर करेगी है ।

7.1.3 जल एवं प्राकृतिक संसाधन विकास समिति सदस्य : "छंजनतंस त्मेवतबम क्मअमसवचउमदजए ूंजमत ैमक ब्वउउपजजममद्ध नदी बेसिन के प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जलग्रहण क्षेत्र वासियों को सामूहिक प्रयास करने होंगे । जलग्रहण क्षेत्र की जल समितियों को मिलाकर संघठन बनाना होगा । । यह संघठन अपने जलग्रहण क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति के प्रति उत्तरदायी बनेगा । इस संघठन का प्रारूप इस प्रकार होगा ।

1. प्रत्येक जन पंचायत से एक व्यक्ति सदस्य होगा ।
2. पंचायत समिति सदस्य –एक सदस्य
3. विभागीय सरकारी कमचारी –एक सदस्य
4. जल संसद द्वारा तकनीकी समिति द्वारा मनोनीत सदस्य – दो सदस्य

जल एवं प्राकृतिक संसाधन विकास समिति अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती है और गांव में रचनात्मक कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं और दानदाताओं से सहयोग भी ले सकती हैं । समीति को वैधानिक रूप से सोसाइटी एक्ट 1958 की धारा 28 के तहत भी पंजीकृत कराया जा सकता है। समिति का लेखा–जोखा एवं दस्तावेज अध्यक्ष–सचिव और कोपाध्यक्ष की देख–रेख में रहेगा तथा ये सभी सदस्य ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

7.1.4 समिति का उददे्ष्य : गांव के जल एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण–संवर्द्धन करना ।

7.1.5 समिति की कार्य प्रणाली : गांव का भौगोलिक दृष्टि व जल संरक्षण के अनुकुल क्षेत्र चिन्हित करना । ग्रामवासियों के साथ चर्चा करना जल संरक्षण की जगह तय करना । बजट व नक्षा तैयार कर ग्राम समिति के सामने प्रस्तुत करना । समिति सदस्यों की राय लेना । जल संरक्षण समिति सदस्यों को जुम्मेदारी देना

। कार्य में आयी कठिनाइयों को ग्राम सभा के सहयोग से हल करना । तकनीकी समिति द्वारा सुझाए कार्यों को करवाना । संसद के निर्णयों की पालना करवाना ।

7.1.6 गांव के सामूहिक मुद्दे : पीने का पानी, खेती के लिए पानी, चरागाहओं पर अतिक्रमण, जल संरक्षण का अभाव, जल दोहन, बजरी–पत्थर खनन, पानी के रास्तों को रोकना, पषुपालन, बेरोजगारी, षिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दे पर एक राय बनाना व पालना करना ।

7.1.7 ग्राम पंचायत स्तर पर समिति के कार्य :

1. ग्रामवासियों के पारम्परिक ज्ञान एवं सहभागिता से कार्य करना ।
2. प्राकृतिक संसाधन 'जल, जंगल, जमीन के संरक्षण में सामुदाय की जुम्मेदारी को सुनिष्चित करना ।
3. खेती और वानिकी विकास के कार्य करना ।
4. पषुपालन विकास के कार्य करना ।
5. जल संसद के निर्णयों की पालना करना ।
6. षिक्षा /स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रयास करना ।
7. रोजगारोन्मुखी कार्य करना ।
8. सामलाती संपत्तियों के संरक्षण के लिए जागरूकता के कार्यक्रम करना ।
9. सामलाती संसाधनों पर ग्रामवासियों का स्वामित्व स्थापित करना ।
10. प्रत्येक जनसमुदाय की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखना, जिससे किसी प्रकार के विवाद न हों ।
11. आपसी मत–भेदों को दूर कर सहयोगी भावना से कार्य करना ।
12. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए संधर्पषील होना ।
13. लोगों द्वारा प्राकृकित संसाधनों पर हो रहे अतिक्रमण रोकने के कार्य करना ।
14. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना ।

नोटः– सामलाती विकास के लिए उप समितियां बनाकर सभी सदस्यों की भागेदारी से गांव का समग्र विकास की योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है ।

7.2.2 जलग्रहण क्षेत्र : जल एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण समिति

7.1.8 जलग्रहण क्षेत्र के मुद्दे :

1- सवाई जमीनों पर अतिक्रमण

2- चरागाहों पर अतिक्रमण

3- बजरी खनन

4- क्षेत्रीय पर्यावरणनीय समस्याऐं

5- पषु–पक्षी एवं वन्यजीव षिकार

6- जलागम में अतिक्रमण / जल दोहन

7- नयी बसावट के द्वारा अतिक्रमण

8- जलग्रहण क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिकीकरण आदि

7.2. मासी नदी बेसिन जल संसद :

7.2.1मासी नदी बेसिन जल संसद संरचना : मासी नदी जल संसद का अभिप्राय मासी जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले सभी छोटे–बड़े जलग्रहण क्षेत्रों में जन सहभागिता से जल–जंगल–जमीन का संरक्षण और संवर्द्धन कर कृपि एवं पारिस्थितिकी तंत्र को विकसीत करना है । मासी नदी बेसिन क्षेत्र में आने वाले समाज, जल उपभोक्तागण होंगे इसका क्षेत्र ''मासी नदी बेसिन जलग्रहण क्षेत्र'' होगा । मासी नदी के सभी जलग्रहण क्षेत्र के संघठनों को मिलाकर जल संसद बनाई जायेगी जिसे ''मासी नदी बेसिन संसद'' के नाम से जाना जायेगा ।

7.2.2 मासी नदी संरक्षण में भागीदार समूह –नदी संरक्षण के लिए हर ग्रामसभा सदस्य, उद्योगपति, भवन निर्माता, सरकारी विभाग और उनकी सस्थाऐं, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा ।

7.2.3 मासी नदी बेसिन जल संसद का गठन : प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों में से पांच व्यक्तियों का मनोनयन किया जायेगा । मासी नदी घाटी संसद में कुल 80 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल होगा । जिसे साधारण सभा के नाम से जाना जायेगा । संसद के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्प के लिए होगा । पांच सदस्य विभिन्न उद्याोगिक क्षेत्र से उद्योपतियों द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । इसी तरह 2 प्रतिनिधी असंघठीत समुह से होंगे । कुल मिलाकर 37 सदस्यों का समुह होगा । जल संसद का दूसरा घटक तकनीकी सहयोगी समुह होगा जिसके 14 सदस्य निम्न प्रकार होंगे ।

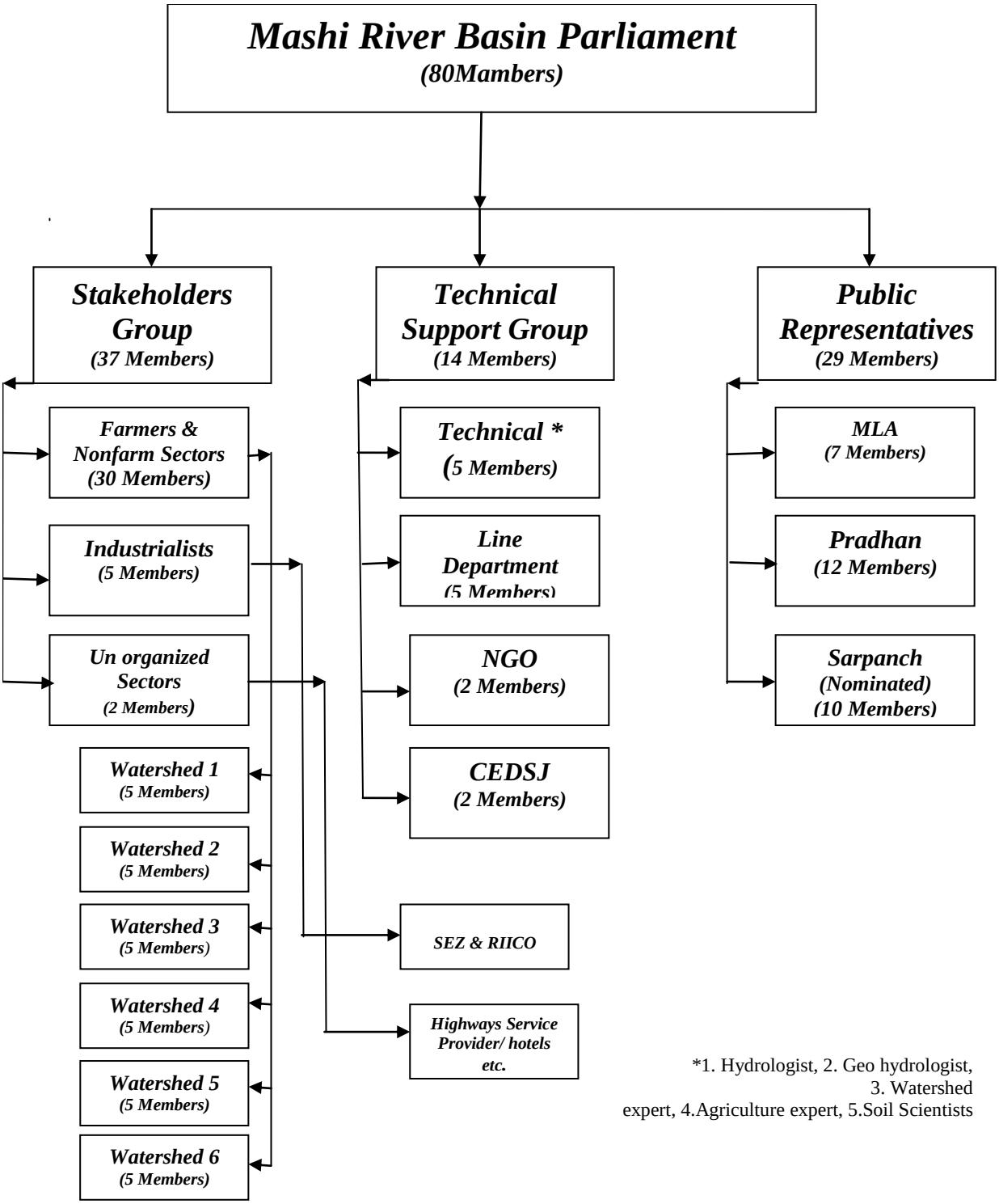

*1. Hydrologist, 2. Geo hydrologist, 3. Watershed expert, 4.Agriculture expert, 5.Soil Scientists

1. तकनीकी विषेपज्ञ – 5 सदस्य, भ्लकतवसवहपेजए हमवीलकतवसवहपेजए ूंजमतीमक म्गचमतजए ।हमतपबनसजनतम म्गचमतजए ैवपस ैबपमदजपेज ण
2. सरकारी संबब्धित विभाग –5 सदस्य, च्भ्म्क ळॅ क्मचंतजउमदजए ूंजमत ीममक कमचजजए ॅजमत तमेमंतबी कमचजजए ।हतपबनसजनतम क्मचजजण
3. स्वयं सेवी संस्थान – इस क्षेत्र में से 2 संस्थानों के प्रतिनिधी
4. पर्यावरण एवं विकास अध्ययन केन्द्र के 2 प्रतिनिधी

जल संसद का तीसरा घटक जनप्रतिनिधियों का होगा । जन प्रतिनिधियों की कुल संख्या 29 निम्न प्रकार से होगी :

7 विधायक
12 प्रधान
10 सरपंच ''मनोनीत किये हुए''

दस सरपंचों का मनोनियन पर्यावरण एवं विकास अध्ययन केन्द्र द्वारा किया जायेगा ।

प्रतिनिधि मंडल समूहः साधारण सभा के सदस्यगण निम्नवत रहेंगे ।

उपभोक्ता समूह	तकनीकी सहयोगी समूह	जन प्रतिनिधी
37 सदस्य	14 सदस्य	29 सदसय
किसान	तकनीकी विषेपज्ञ, वैज्ञानिक	विधायक
30 सदस्य	5 सदस्य	7 सदस्य
उद्योगपति	विभागीय	प्रधान
5 सदस्य	5 सदस्य	12 सदस्य
गैर संगठित समूह	स्वयंसेवी संस्थाऐं	चुने गये सरपंच
2 सदस्य	2 सदस्य	10 सदस्य

जलग्रहण क्षेत्र –1 सी.ई.डी.एस.जे.

5सदस्य 2 सदस्य

जलग्रहण क्षेत्र –2

5 सदस्य

जलग्रहण क्षेत्र –3

5 सदस्य

जल ग्रहण क्ष्त्र –4

5 सदस्य

जल ग्रहण क्षेत्र– 5

5 सदस्य

7.2.4 मासी नदी बेसिन जल संसद संचालन समिति :

मासी नदी घाटी संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए 80 सदस्यों में से ही संसद अघ्यक्ष, सचिव और कोपाध्यक्ष और कार्य समीति सदस्यों का चुनाव किया जायेगा ।

7.2.5 मासी नदी बेसिन जल संसद निधि कोपः मासी नदी बेसिन जल संसद के नाम से बैंक में खाता खोला जायेगा । नदी बेसिन में जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण–संर्वद्धन के रचनात्मक कार्य करने के लिए संसद अपना निधी कोप बना सकती है । निधी कोप के लिए संसद सदस्य सरकारी /गैर सरकारी और दानदाताओं से आर्थिक सहयोग जुटा सकते है ।

मासी नदी बसिन क्षेत्र में जल –जंगल –जमीन संरक्षण के लिए रचनात्मक कार्य कराने की जुम्मेदारी मासी नदी सांसदों द्वारा बनाई गई कार्य समिति की रहेगी । कार्य समिति, सांसदों के सुझावों के मद्दे नजर मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र के किसी भी भाग में जरूरत के अनुसार कार्य कराने के प्रति जबाव देही रहेगी । आर्थिक संसाधन जुटाने और उनका रचनात्मक कार्यों पर मितव्यतापूर्ण खर्च करने से संबंधित लेखा–जोखा । कार्य समिति सदस्यों की रहेगी । जिसका हिसाब मासी नदी संसद की छमाही बैठकों में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा ।

7.2.6 दस्तावेजीकरण करना : मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र से संबंधित आर्थिक, सामाजिक, जल एवं पारिस्थितिकी प्रभाव, नीतिगत पैरवी, विवादों का दस्तावेजीकरण करना संसद कार्यसमिति की जिम्मेदारी है ।

7.2.7 सांसदों की सदस्यता निष्क्रय के कारक : मासी नदी घाटी संसद सदस्यों की सदस्यता पांच साल रहेगी । मासी नदी संसद सदस्यों की सदस्यता निम्न रूपों में निष्क्रय मानी जायेगी ।

1. संसद के प्रति उदासीनता के कारण ।
2. संसद की बैठकों में भागेदारी न करने कारण ।
3. लम्बी बीमारी के कारण
4. दुर्घटना या मृत्यु होने के कारण
5. संसद कमेटी के द्वारा किये जा रहे कार्यों में लापरवाही के कारण सदस्यता जा सकती है ।

उक्त किन्ही कारणों से मासी नदी सांसद की सदस्यता प्रभावित होने पर नये सांसदों का चुनाव मासी नदी बेसिन संसद की छमाही बैठक में प्रस्ताव लेकर नये सांसद का चुनाव करना होगा ।

7.2.8 सांसदों से संबंधित नियम : प्रत्येक सांसद संसद के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होगा ।

1. प्रत्येक सांसद संसद के प्रति पूर्ण निष्ठावान एवं उत्तरदायी होगा ।
2. प्रत्येक सांसद अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में संसदीय मर्यादाओं का निर्वाहन करेगा ।
3. संसद द्वारा पारित या अभिलिखित नियमों व उपनियमों की अनुपालना करना एवं सांसदीय क्षेत्र में कराना सांसद का दायित्व होगा ।
4. प्रत्येक सांसद को संसद के अप्रचलित या अनुपयुक्त प्रावधानों के नवीनीकरण एवं उपयुक्तीकरण के सुझावों उठाना एवं दुरस्तीकरण के प्रयास करने होंगे ।
5. संसद के सामने जनहित एवं संसाधन कल्याण के मुद्दों को प्रमुखता से रखाना होगा ।
6. सांसद की प्राकृतिक, पर्यावरण एवं जल संसाधनों के संरक्षण , उनके विकास के प्रति सम्पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी ।

7.2.9 मासी नदी बेसिन जल संसद के कार्य :

1. मासी नदी बेसिन क्षेत्र में जल संसद द्वारा जल एवं प्राकृतिक संसाधनों पर नियम एवं उपनियम बनाना एवं उनकी अनुपालना सुनिष्चित करना ।

2. सरकार द्वारा पारित नियमों को मासी नदी बेसिन क्षेत्र के अनुरूप उपयुक्तता परखना एवं अनुपयुक्त प्रावधानों का विलोयन एवं उपयुक्त प्रावधानों का प्रारूप सरकार के समक्ष उठाना होगा ।
3. मासी नदी बेसिन क्षेत्र में संसाधनों के दोहन, प्रबन्धन, संरक्षण, उपभोग एवं उपयोग को मर्यादित व उपलब्धता सुनिष्चित करना होगा ।
4. मासी नदी बेसिन के हित में कार्य करना एवं नदी को सदा नीरा रखने के प्रति उत्तरदायित्व निभाना होगा ।
5. नदी बेसिन क्षेत्र में कृपि , जल संसाधन, पषु, पर्यावरण, तथा तथा वन्यजीवों में आपसी समन्वय स्थापित करने के प्रयासों को प्रमुखता से उठाना व अनुपालना, सुनिष्चित करना होगा ।
6. नदी बेसिन क्षेत्र के प्रत्येक घटक के जीवनयापन ण्वं दैनिक प्राकृतिक आवष्यकता को सुनिष्चित एवं संरक्षित करना ।

मासी नदी घाटी संसद का विधान

मसी नदी घाटी संसद का पंजीयनः राजस्थान सोसायटी एक्ट 1958 की धारा 28 के तहत प्रजीकृत किया जा सकता है तथा पूरा तत्व विभाग के द्वारा भी ट्स्ट के रूप में पंजीयन कराया जस सकता है ।

1. नाम – इस संस्था का नाम ‘‘मासी नदी बेसिन जल संसद है । जो विधान में मासी संसद के नाम से जाना जायेगा ।
2. कार्यक्षेत्र – मासी संसद का कार्यक्षेत्र मासी नदी जलग्रहण क्षेत्र रहेगा । मासी संसद का पंजियन कार्यालय कार्यकारणी के निर्णयानुसार परिवर्तित हो सकेगा ।
3. उद्देष्य – मासी संसद के निम्न उद्देष्य होंगे ।

डद्देष्यः

- नदियों को पुर्नजीवित करना ।
- संसद के माध्यम से जल, जंगल, जमीन प्रकृतिक संसाधनों का एकीकृत तरीके से समाज द्वारा टिकाउ प्रबन्धन करना ।
- पानी पर समाज का अधिकार स्थापित करना व सब का समान हक दिलाना ।
- पानी को दुर्लभ संसाधनों के रूप में देखना एवं व्यवहार करना ।
- सतही जल संरक्षण प्रबन्धन को बढ़ावा देना ।
- जल संसाधनों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकना ।
- जल प्रबन्धन में समाज की भागेदारी स्थापित करना ।
- मासी नदी बेसिन में जल जंगल जमीन का एकीकृत जल प्रबन्धन सिद्धान्त प्ररिपेक्ष में समाज की भागेदारी प्रबन्धन संरक्षण एवं विकास करना ।
- सरकार की जल,जंगल जमीन सम्बन्धी नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार के विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन बेसिन के हित सुनिष्चित करना

मासी नदी बेसिन क्षेत्र में कब्जे , बजरी खनन व अन्य गतिविधियों जो नदी के जल प्रभाव को अवरोध करती हो, प्रदूपित करती हो या किसी रूप में प्रभावित करती हो , उसको रोकना एवं तर्कसंगत समाधान ढूढ़ना । नदी क्षेत्र में रहने बाले सभी समुहों की जल सुरक्षा व जीवन यापन को बहेतर बचाने के लिए प्रयास करना ।

उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवष्यक साधन सामग्री जुटाना व तदनुकूल कार्यक्रम आयोजित करना

उपरोक्त उद्देष्य एवं कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु संस्थाओं, संगठनों, व्यतियों से सभी प्रकार का सहयोग लेना तथा सहयोग देना रहेगा ।

4. सदस्यता – जो संसद के उद्देष्यों में विष्वास व निप्ठा रखते हों विधान के नियमों का अनुपालन करते हों तथा निर्धारित वार्पिक षुल्क 1 अप्रेल से 31 मार्च तक जमा करवायें तथा संसद की कार्यकारणी द्वारा स्वीकृत होने पर सदस्य बन सकते हैं ।
5. सदस्यता समाप्ती – 1. पागल या दिवालिया हो जाने पर । 2. मृत्यु हो जाने पर । 3. त्याग पत्र देने पर । संसद के नियमों उद्देष्यों का उल्लंधन करने पर तथा संसद के प्रतिकुल आचरण करने पर कार्य समिति सदस्य को निप्कासित कर सकती है । 5. लगातार तीन बैठकों में सम्मिलित न होने पर

6. कार्यकारणी समिति का गठन –

संसद की गतिविधियों के संचालनार्थ साधारण सभा द्वारा निर्वाचित कम से कम 7 और अधिकतम 11 सदस्यों की एक कार्यकारणी होगी ।

कार्यकारणी समिति में निम्न पदाधिकारी होंगे ।

1. अध्यक्ष – जो साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।
2. सचिव –जो साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।
3. कोपाध्यक्ष – जो साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।

कार्यकारणी समिति के कार्य –

अ. कार्यकारणी संसद के सारे कार्यों का संचालन साधारण सभा के निर्देषन में करेगी । हिसाब रखेगी, अन्य कार्य जो संसद की गतिविधि के लिये आवष्यक हों वह सम्पन्न करेगी ।

ब. कार्यकारणी समिति की बैठक साधारण स्थिति में सचिव द्वारा 15 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जायेगी । कार्यकारणी के 5 सदस्यों के लिखित प्रतिवेदन पर सचिव आवेदन तिथि को 20 दिन की अवधि में कम से कम 5 दिन पूर्व सूचना देकर बैठक आमन्त्रित करेंगे ।

स. गणपूर्ती –कार्यकारिणी समिति बैठक के लिए पर्यापत उपस्थिति तत्कालीन कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 मानी जायेगी लेकिन स्थगित बैठक के लिए कोरम पूरा होने की अनिवार्यता नहीं होगी । स्थगित बैठक में वही विपय लिए जा सकेंगे । जिनकी सूचना पहली मीटिंग के समय दी गई हो ।

द. कार्यकारणी का कार्यकाल 5 वर्प का होगा । नई कार्यकारिणी गठित होने तक पुरानी कार्यरिणी कार्य करती रहेगी । कार्यकाल के दौरान रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति का अधिकार कार्यकारिणी को होगा ।

कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कार्य :

अध्यक्ष के कार्य – अध्यक्ष कार्यरिणी की एवं साधारण सभा की अध्यक्ष्ता करेगा तथा कार्यक्रमों के लिए सचिव को परामर्ष देगा ।

सचिव के कार्य – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उन सब कार्यों को जिनको अध्यक्ष करते हैं जैसे – कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की अध्यक्षता करना ।

सचिव के कार्य – 1. सभी प्रकार की बैठकों को आमन्त्रित करवाना उनका संयोजन करना ।

2. सभी प्रकार की बैठकों का विवरण तैयार करना ।

3. प्रस्तावों एवं निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय होना ।
4. आवष्यकतानुसार आर्थिक साधन जुटाना व कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए स्वीकृति देना, हिसाब रखना तथा कार्यकारिणी व साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना व उनसे अनुमोदित करवाना ।
5. संसद के कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ती करना एवं निलम्बीत करना तथा उनके कार्य विभाजन को निष्चित करना और ऐसे सभी कार्यों का संचालन करना जो संसद के लिए आवष्यक है ।

कोपाध्यक्ष के कार्य – आय व्यव का हिसाब रखना, साधारण सभा व कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना, अंकेक्षण करवाना ।

उक्त पदाधिकारी साधारण सभा के भी पदाधिकारी होंगे ।

साधारण सभा –

अ. साधारण सभा कम से कम वर्प में दो बार होगी जिसमें संसद के कामकाज की रिर्पोट , वार्पिक हिसाब तथा आगे के काम की योजना पेष की जायेगी । साधारण सभा की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
ब. कार्यकारिणी की अवधि समाप्त होने के एक महिने के अन्दर नई कार्यकारिणी के गठन के लिए साधारण सभा बुलाई जायेगी । नई कार्यकारिणी गठन होने तक पुरानी कार्यकारिणी कार्यरत रहेगी ।
ग. साधारण सभा का कोरम ''गणपूर्ती '' संख्या कम से कम 11 या कुल सदस्य संख्या की 1/4 जो भी अधिक हो वह होगी ।

विधान का संषोधन – कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित संषोधन साधारण सभा द्वारा उनकी पुप्टि होने पर स्वीकृत माने जायेगे ।

समिति का विघटन – पंजीकृत होने पर समिति का विघटन राजस्थान सोसायटी एक्ट 1958 की धारा 13 व 14 के नियमानुसार होगा । अथवा साधारण सभा की अनुमती अनुसार विघटन की प्रक्रिया होगी ।
————————